

भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र नीतियों के पांच स्तंभ*

रघुराम जी. राजन

नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण समय है, किंतु अगले कुछ समय में जो चुनौतियाँ सामने आएंगी उनके बारे में मैं अन्यत्र बात कर चुका हूँ। इसलिए इसके बजाय मैं उन अवसरों के संबंध में बात करूँगा जिनसे हम भारत को आज की तुलना में कहीं बेहतर मुकाम दिला सकेंगे, और मैं विशेष रूप से वित्त पर फोकस करना चाहूँगा।

विश्व का अधिकांश हिस्सा उमरदराज होता जा रहा है, ऐसी जनसंख्या के भार का सामना कर रहा है जिसमें वयोवृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वालों की संख्या घट रही है। विश्व के अधिकांश हिस्से से विकास की आसान राहें खत्म हो चुकी हैं। सभी स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करके अनेक देशों के पास विकास की दर को बनाए रखने के लिए पुलों के निर्माण के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। विश्व का अधिकांश भाग सुशिक्षित है, पर्याप्त भोजन है, तथा सड़क मार्ग, दूर संचार एवं वित्त सुविधा से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत की स्थिति शेष विश्व के समान नहीं है। हमारी जनसंख्या युवा है, हमारी बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं और बहुत से भारतीय न तो अच्छी तरह शिक्षित हैं और न ही उन्हें अच्छा भोजन मिलता है तथा उक्त सुविधाओं से वे अच्छी तरह जुड़े नहीं हैं। यही कारण है कि इन्हें बेहतर बनाने के रुके हुए अवसर आने वाले समय में ढेर सारे होंगे। हम सबको केवल इन अवसरों को लपक लेने की जरूरत है।

यदि यह सब कुछ इतना आसान है, तो हमने अब तक उन्हें क्यों नहीं हासिल कर लिया? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किंतु, मैं आज अल्पविकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। बस, इतना कहना पर्याप्त होगा कि भारत अपने आंतरिक हितों से संघर्ष कर रहा है जिसने इसे बीते समय में पीछे रोक रखा था। विजय पक्की भले न हो लेकिन

* गवर्नर रघुराम जी. राजन द्वारा बैंकॉन 2013 में 15 नवंबर 2013 को मुंबई में दिया गया भाषण।

हमने इतनी प्रगति अवश्य कर ली है कि हम यह देख सकते हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों में क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम मजबूत और बरकरार रखने योग्य विकास के मार्ग पर स्वयं को दृढ़ता से पुनः कायम कर सकें।

कुछ लोग यह कहेंगे कि हमें विनिर्माण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। अन्य लोग कहेंगे कि हमें ऐसे उद्योग जैसे - इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर चिप्स के उद्योग पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास नहीं हैं और इनकी आवश्यकता है। एक बार फिर से बिजली क्षेत्र के गलियारों में औद्योगिक योजना की गूँज सुनाई देगी। मुझे चिंता है कि कहीं हम संरक्षण और सब्सिडी की वार्ता की ओर तो नहीं लौट रहे हैं, जिसे हम बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं। हमारा औद्योगिक क्षेत्र अब बच्चा नहीं रहा जिसे पालन-पोषण की आवश्यकता हो। जहां हमें मुक्त-व्यपार का करार करने की आवश्यकता नहीं है कि जिससे विदेशी विनिर्माता उसका अनुचित लाभ उठा सकें, वहीं इस बात का भी कोई कारण नहीं है कि घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान दिया जाए। हमें याद रखना होगा कि किसी घरेलू निर्माता को संरक्षण-लाभ से होने वाले वायदे का भुगतान उपभोक्ता को करना होता है, अथवा इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह लाभ किसी अन्य घरेलू निर्माता की लागत पर कमाया गया है। कुछ ऐसे खास उद्योगों को लक्ष्य बनाने के बजाय, जिनके लिए सरकारी ध्यान की जरूरत है, जिसमें इस बात का जोखिम है कि लाइसेंस परमिट राज के साज व सामान को पुनः लाया जाए जिसे हम काफी पीछे छोड़ आए हैं, आइये हम उन स्थितियों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें जो हम सभी के विकास के लिए हों। हमारी सफलता का उपाय लोगों के लिए काम पैदा करना हो, न कि श्रमिक-जन्य उद्योगों या क्षेत्रों को सरकारी सब्सिडी या संरक्षण देना, एक सुकर एवं स्पर्धात्मक वातावरण विकसित किया जाना हो जो एक सर्वोत्तम समाधान सिद्ध होगा।

इसके लिए चार मुद्दों पर अनुशासित तरीके से ध्यान देना होगा:

1. हमें अपनी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत है, खासतौर पर लाजिस्टिकल तथा बिजली सुविधा जिसकी, उद्योग एवं सेवाक्षेत्र को आवश्यकता है। बड़ी-बड़ी योजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे - दिल्ली-मुंबई कोरिडोर। हमें इन परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा करने की आवश्यकता है। नई दिल्ली मेट्रो की सफलता यह दर्शाती है कि समयबद्धता और लागत-नियंत्रण भारतीय मानस के लिए कोई बाहर की बात नहीं है।

2. हमारे युवाओं को शिक्षा और सृजित किए जाने वाले कार्यों के प्रशिक्षण की जरूरत है। इन कार्यों में से कुछ कार्य उच्च कोटि के होंगे जिसमें केवल कंप्यूटर विज्ञान ही नहीं है बल्कि डिजाइन या सिविल अभियांत्रिकी के कार्य भी हैं। इनमें से कुछ उपयुक्त शिक्षा होगी जो उन्हें नलसाज या इलेक्ट्रीशियन का ज्ञान सिखाएगी बजाय इसके कि वे कम-कौशल स्तर के बेरोजगार रहने वाले इंजीनियर बनके रह जाएं। स्वयं के नागरिकों को शिक्षित कर लेना विश्व को शिक्षित कर लेने के समान होगा। भारत, पूरे विश्व को उपयुक्त मानव गुणों सहित जन-प्रौद्योगिकी युक्त शिक्षा देने में सबसे आगे रह सकता है।

3. हमें कारोबार को बेहतर तरीके से विनियमित करने की आवश्यकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विनियमन कम होना चाहिए बल्कि इसका आशय है कि विनियमन उपयुक्त हो और उद्देश्यों के अनुरूप पूरी तरह से लागू हो। मुझे बताया गया है कि अभी भी एक राज्य में फैक्टरी के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उसमें ज़मीनी आधार पर सर्प-कुंडली जैसा क़ानून हो, किंतु उनके क़ानून उस समय के हैं जब फैक्टरी के आसपास जंगल हुआ करता था और तबसे उसके क़ानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परिवर्तन करने का अभाव मात्र निष्क्रियता होगी, लेकिन ये और भी अशुभ होगा कि उसका किराया बढ़ता जाए। कुल मिलाकर प्रायः हम देखते हैं कि पुस्तकों में विनियमन अधिक होते हैं किंतु व्यवहार में उनका उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिसमें सबसे खराब बात है कि जो विनियमित हैं वे उन विनियमों के आसपास अनैतिक तरीके ढूँढ लेते हैं जबकि जो ईमानदारी से पालन करते हैं वे परेशानी में रहते हैं। सौद्धांतिक तौर पर हमारे पास बहुत ही सुदृढ़ श्रमिक क़ानून है, किंतु व्यवहार में हमारा सिस्टम बहुत ही लचीला है जिसमें इस बात का कोई प्रोत्साहन नहीं है कि फर्म अपने कामगारों में निवेश कर सकें अथवा उनको अपना बनाके रख सकें, और कामगारों की उनकी फर्मों के प्रति कोई वफ़ादारी नहीं रह गई है। यदि हमें अधिक कौशलपूर्ण विनिर्माण कार्य करने हैं तो हमें इस सिस्टम में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

4. और अंतिम मुद्दा यह है कि हमें एक अच्छी वित्तीय प्रणाली चाहिए, जो जरूरतमंद बुनियादी ढांचे को तथा प्रत्येक निर्माता की विस्तार-आवश्यकता को वित्त प्रदान करेगी और यह सुविधा किराना दुकान के मालिक से लेकर उद्योगपतियों तक को उपलब्ध हो, यहाँतक कि यह प्रणाली गृहस्थों की सुरक्षित बचत करने का अवसर दे जिसमें उन्हें वास्तविक रूप से बदले में उसका फायदा

मिले, वे स्वयं की स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकताओं अथवा बुढ़ापे की लागतों के प्रति बीमा करा सकें और कम लागत पर उधार प्राप्त कर सकें ताकि वे अपने खाने-पीने की चीजों पर खर्च कर सकें। खास बात यह भी है कि वित्तीय प्रणाली को उबारने के लिए लगातार सब्सिडी की जरूरत नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के विकासात्मक उपायों के पांच स्तंभ

मैं अपनी शेष चर्चा में इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक क्या कर रहा है। अगले कुछ समय में पांच स्तंभों पर आधारित रिज़र्व बैंक के विकासात्मक उपाय बनाने की हमारी योजना है। वे इस प्रकार होंगे :

1. मौद्रिक नीति के ढांचे को स्पष्ट करना और सुदृढ़ बनाना
2. नये प्रवेश देकर, शाखा विस्तार के माध्यम से, नये तरीके के बैंकों को प्रोत्साहित करके बैंकिंग ढांचे को मजबूत बनाने और विदेशी बैंकों को बेहतर विनियमित संगठनात्मक स्वरूप में लाना।
3. वित्तीय बाज़ार को बड़ा एवं गहन बनाना तथा उनमें चलनिधि और सहनशक्ति को बढ़ाना ताकि वे भारत के विकास का वित्तपोषण कर सकें और जोखिमों को आत्मसात कर सकें।
4. लघु और मझौले उद्यमों, असंगठित क्षेत्र, निर्धन, तथा देश के दूरदराज इलाकों में जहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, को प्रौद्योगिकी, नई कारोबारी प्रथाओं, और नए संगठनात्मक ढांचों के माध्यम से वित्त उपलब्धता में विस्तार करना; अर्थात् हम वित्तीय समावेशन चाहते हैं।
5. वास्तविक और वित्तीय ढांचा तथा ऋण वसूली व्यवस्था को मजबूत बनाकर प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाना ताकि वह कंपनी-दबाव एवं वित्तीय संस्थाओं के दबावों को दूर कर सके। मैं इनमें से प्रत्येक उपायों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा।

पहली बात यह है कि हम विश्व के उन बड़े राष्ट्रों में से एक हैं जिनमें उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बहुत ऊंची है। हालांकि हम जितना चाहते हैं हमारी विकास की दर उससे भी कहीं अधिक कमज़ोर है। ज्यादातर महंगाई खाने-पीने की चीजों और सेवाओं में केंद्रित है। हमारे गृहस्थ सोना खरीदना अधिक पसंद करते

हैं क्योंकि उनके लिए वित्तीय निवेश के अवसर आकर्षक नहीं हैं। वहीं कई औद्योगिक निगम इस बात की शिकायत करते हैं कि ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं क्योंकि उसकी वजह से वे ऊंची लागतों को अपने उत्पाद की ऊंची कीमतें रखकर अंतरित नहीं कर सकते।

हम इस बात पर लंबे समय तक बहस कर सकते हैं कि इस मुद्रास्फीति के स्रोत कौन से हैं। लेकिन अंततः, मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है जब आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाए। और इसे कम तभी किया जा सकता है जब इन दोनों में संतुलन हो। हमें, निवेश और आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग को थोड़ा कम करना होगा। ऐसा करना संतुलनकारी होगा जिनके लिए रिज़र्व बैंक को दृढ़ता से काम लेना होगा ताकि अर्थव्यवस्था में स्फीति न पैदा हो, यहां तक कि एक कमजोर अर्थव्यवस्था को यह स्थिति लाने के लिए सामान्य लगत से भी अधिक समय की अनुमति देना ताकि मुद्रास्फीति सहज स्तर तक पहुंच जाए। अर्थव्यवस्था की कमजोर हालत को देखते हुए, खरीफ और रबी की अच्छी फसलों के चलते इसमें अपस्फीतिकारी शक्ति पैदा होगी जो सहायक होगी, और हम इनके संबंध में आंकड़ों का इंतज़ार करेंगे कि किस प्रकार ये शक्तियां काम कर रही हैं। एकाध आंकड़ों या संख्याओं से हमारे अगले कदम का निर्धारण नहीं होगा।

मेरा मानना है कि बाज़ार इस बात को समझता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु हमें वर्तमान से भी अधिक सावधानीपूर्वक बनाए गए मौद्रिक नीति ढांचे की जरूरत है। डॉ. ऊर्जित पटेल समिति द्वारा दिसंबर 2013 के अंत तक प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार इसके ढांचे पर कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी बात यह है कि हम मुक्त-शाखाकरण के उपाय पहले ही घोषित कर चुके हैं और विदेशी बैंकों को घरेलू स्तर पर स्थानीय जैसा बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। इससे आगे बढ़ें, तो हमें अपने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जो राष्ट्र की संपत्ति हैं, ऐसे साधन मुहैया कराना है जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा शक्ति बेहतर हो सके। अधिकांश बैंकों ने पिछले दशक में भरसक प्रयास किए हैं - उदाहरण के तौर पर, जिस सीमा तक उन्होंने अपने कार्यों को डिजिटाइज्ड किया है वह अत्यधिक सराहनीय है - किंतु बैंकिंग क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में स्पर्धा और बढ़ेगी इसलिए वे अपनी इस उपलब्धि को इतिश्री नहीं मान सकते। आने वाले महीनों में हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्टेकधारकों से

यह चर्चा करेंगे कि उनके स्थायित्व, क्षमता और उत्पादकता को और बेहतर बनाने के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है।

तीसरे, हमें ऐसे बाज़ारों को सूचीबद्ध करने की जरूरत है जो बैंकिंग सहायक सिद्ध होंगे। चलनिधि बाज़ार बैंकों को यह सहायता करेगा कि वे ऐसे जोखिम अपने ऊपर न लें जिन्हें उठाने की उनको आवश्यकता नहीं है। वह बैंकों को उनकी ऐसी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति देगा जिन्हें धारित किए रहने में उन्हें कोई तुलनात्मक लाभ नहीं है, जैसे कि बुनियादी ढांचे की परियोजना के पूरा होने तक दिया गया दीर्घकालीन ऋण, बेहतर होगा कि इसे बुनियादी ढांचा निधि, पेंशन निधि, तथा बीमा कंपनियों द्वारा धारित किया जाए। चलनिधि बाज़ार से प्रवर्तकों को सहायता मिलेगी कि वे इक्विटी बढ़ा सकें जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अतिशय आवश्यकता है जो ऐसे जोखिमों को समाहित कर लेगी जिन्हें अन्यथा बैंकों द्वारा अंततः उठाना पड़ता है। यह देखने के बजाय कि बाज़ारों का विकास तभी होगा जब बैंकिंग क्षेत्र का विकास हो, हम देखना चाहेंगे कि बाज़ार उनके अनुपूरक रूप में कार्य करें - निश्चित ही, इसके लिए बैंकों को अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना होगा ताकि आप बाज़ारों का इस्तेमाल प्रभावी रूप से कर सकें।

आगामी सप्ताहों में, हम चलनिधि और सरकारी प्रतिभूति बाज़ार की गहनता बढ़ाने के लिए गांधी समिति की रिपोर्ट की और भी सिफारिशों को लाएंगे। तब हम मुद्रा बाज़ार और कंपनी ऋण बाज़ार की ओर रुख करेंगे। हम ब्याज दर प्यूचर्स की नई दरें तथा नए उत्पाद लेकर आएंगे जैसे मुद्रास्फीति सूचकांकित प्रमाणपत्र और व्युत्पन्नी बाज़ार में चलनिधि की स्थिति बेहतर बनाने पर कार्य करेंगे।

चौथे, हमें वित्तीय सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है, भले ही वह दूरदराज अथवा छोटे स्थान पर हो। वित्तीय समावेशन का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि उत्पादन के प्रयोजन के लिए ही ऋण की उपलब्धता हो बल्कि स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकताओं के लिए अथवा स्कूल या कालेज की भारी-भरकम फीस अदा करने के लिए ऋण उपलब्ध हो। इसका तात्पर्य है कि परिश्रम से की गई बचत को सुरक्षित रखने का साधन प्रदान करना और भुगतान करने तथा धन भेजने का आसान तरीका उपलब्ध कराना। इससे तात्पर्य है बीमा और पेंशन की सुविधा। इसका आशय है वित्तीय शिक्षण और उपभोक्ता का संरक्षण।

समावेशन की दिशा में हमने अत्यधिक प्रयास किए हैं, किंतु अभी भी हम अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर हैं। हमने शाखा खोले जाने

की रणनीति अपनाई है किंतु यह पर्याप्त नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जहां बैंकों की संख्या अत्यधिक है, वहां गरीब लोगों को अभी भी बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमने इसके लिए कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। प्रौद्योगिकी का, मोबाइल फोन, नये उत्पाद जैसे - मोबाइल वैलेट्स एवं नई संस्था जैसे कारोबार-प्रतिनिधि का प्रयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जा सके। सेलफोन के माध्यम से काफी कार्य किया गया है जिसमें हमने किरायायती भारतीय मॉडल बनाया है, हमें वित्तीय समावेशन के लिए विश्वसनीय तथा प्रभावी भारतीय मॉडल की आवश्यकता है। डॉ. नचिकेत मोर समिति इस संबंध में संभावित मॉडल के माध्यम से हमें इसपर विचार करने के लिए हमारी मदद कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि जब हम समिति की सिफारशों के आधार पर उपाय तैयार करेंगे, तब हमारे बढ़िया बैंक, एनबीएफसी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां तथा मोइबाइल-प्लेयर्स उसे लागू करने में साथ रहेंगे। इस संबंध में और भी बड़े स्तर पर हमने समितियां गठित की हैं जैसे - सांबामूर्ति समिति जो हमें यह परामर्श देगी कि किसी भी प्रकार के मोबाइल हैंडसेट से एन्क्रिप्टेड एसएमएस द्वारा धन अंतरण करने के लिए भारत में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा को कैसे विस्तार दिया जाए।

मैं उन बैंकों से जो यहां सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जोर देकर कहना चाहता हूँ कि वे केवल खाता खोल देने मात्र से आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि गरीब ग्राहक उन खातों का उपयोग भरोसे और पूरी सहजता के साथ करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक शाखाएं खोल लेने या बड़ी संख्या में खाते खोल लेने के बजाय उन ग्राहकों तक पहुंचने के नये तरीके अपनाएं जिन्हें बैंकिंग सेवाएं बहुत कम मिल पा रही हैं।

और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम संकट की स्थिति से निपटने का भरसक प्रयास करें। बैंक प्रबंधन के लिए सीमित समय में संकट से निपटने के लिए प्राकृतिक या खराब तरीका यह हो सकता है कि वह ऋण को सदाबहार रखने के लिए उसकी समय-सीमा बढ़ा दे या बहाने बनाए, इस उम्मीद में कि उसकी वसूली चमत्कारिक रूप से हो जाएगी, अथवा उनके बाद आने वाले लोग इस मामले को देखेंगे। एक प्रवर्तक का संकट से निपटने के लिए नैसर्गिक प्रोत्साहन यह है कि वह इक्विटी को बचाए और उसपर नियंत्रण रखे, बजाय इसके कि कोई भी इक्विटी शेष न बचे, और अंतर्निहित परियोजना के समाधान के

लिए किए जाने वाले समस्त प्रयासों में बाधा बनकर खड़ा रहे और यह उम्मीद करे कि कोई 'दैवी शक्ति' उन्हें उससे उबार लेगी। सभी बैंकर्स और प्रवर्तक इस नैसर्गिक प्रोत्साहन के प्रति वशीभूत नहीं हैं किंतु उनके हैं जो ऐसा करते हैं।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए हमारी प्रणाली संकट को शीघ्र पहचान ले, उसे दूर करने के लिए कदम उठाएं और उधार देने वालों एवं निवेशकों के लिए उपयुक्त वसूली हो सके। हम और बेहतर न्यायप्रणाली अथवा बेहतर दिवालिया प्रणाली की अपेक्षा कर सकते हैं, किंतु वैसा होने ही प्रतीक्षा में हमें इन कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाना होगा जो हमारे पास हैं। अगले कुछ सप्ताह में हम संकट को शीघ्र पहचान लेने को प्रोत्साहित करने, बेहतर समाधान देने और दबावग्रस्त ऋण की उपयुक्त वसूली के लिए उपाय घोषित करेंगे। हम वास्तविक परिसंपत्तियों को उनका अधिकतम उपयोग करने के लिए उन्हें वापस काम पर लगाएंगे। यहां भी आप सभी बैंकर्स को प्रणाली में निर्मित नैसर्गिक प्रोत्साहन से जूझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। आपको उन लोगों की सहायता करनी है जो कठिनाई में हैं और ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना है जो प्रणाली का दोहन करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक आपकी हर तरह से सहायता करेगा।

मैं अब अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हम एक ऐसे कड़े के दौर से गुजर रहे हैं जिसके बारे में भारत कुछ कर सकता है। यह कठोरता केवल विदेशी प्रेस एवं उनके श्रोताओं तक नहीं बल्कि हमारी घरेलू स्तर की बहस को भी दूषित करता है। प्रत्येक नीति को संदेह के साथ लिया जाता है और उसकी समीक्षा भ्रष्टाचार के साक्ष्य के तौर पर की जाती है। ऊपर के स्तर पर निर्णय तो लिए ही नहीं जाते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि निर्णय प्रक्रिया धीमी हो गई है। इसका समाधान निष्क्रियता से नहीं बल्कि सक्रियता से होगा, ऐसी सक्रियता जो दिखाई दे और उसका मकसद हो तथा पूर्वाग्रह रहित हो और प्रभावी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि कार्यशील होने में गलतियां होंगी और यदि एक बार साफ-सुथरे कर्मों का वजन बढ़ने लगे तो संदेह का जहर जो आज समाज में व्याप्त हो गया है, वह समाप्त हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मंशा है कि ऐसी स्थिति लाने के लिए वह अपने हिस्से की भूमिका अदा करेगा।